कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य- 03/2025 **दिनांक 16/04/2025**

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,

वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0।

अपने पत्र संख्याःवीजेड-सोशल मीडिया-(18)/2020/10720,दिनांकःजून 04,2020 व पत्र संख्याः41/6-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो पुलिस विभाग एवं उसके अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 15.04.2025** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. थाना दुल्लहपुर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 70/2025 धारा 65(2) BNS व 5M/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 15.04.2025 को थानाध्यक्ष दुल्लहपुर मय हमराह द्वारा रात्रिगस्त, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन दुल्लहपुर बाजार मे मामुर था कि जरिये मुखबिर सुचना मिली कि थाना स्थानीय पर दिनांक 13.04.2025 को पंजीकृत मु0अ0सं0 70/2025 धारा 65(2) BNS व 5M/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त हीरा वनवासी पुत्र मुराहू वनवासी निवासी ग्राम मलिकपुरा थाना शादियाबाद जनपद गाजीपुर, जो छपरी मार्केट मे मौजूद है। अभियुक्त को दिनांक 15.04.2025 को छपरी मार्केट से गिरफ्तार किया गया गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही कि जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

हीरा वनवासी पुत्र मुराहू वनवासी निवासी ग्राम मलिकपुरा थाना शादियाबाद जनपद गाजीपुर

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास -

01 . मु0अ0सं0 70/2025 धारा 65(2) BNS व 5M/6 पाक्सो एक्ट थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर।

02-थाना बहरियाबाद पुलिस टीम द्वारा मु0अ0स0 53/2025 धारा 115(2),352,351(3),105 BNS में वांछित 01 नफर अभियुक्ता गिरफ्तार व 02 नफर बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त आलाकत्ल बरामद।

अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत प्रभारी निरीक्षक बहारियाबाद तारावती यादव मय हमराह व उ0नि0 मनोज कुमार मिश्र के द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 53/2025 धारा 115(2),352,351(3),105 BNS में वांछित 01 अभियुक्ता व 02 नफर बाल अपचारी को प्यारेपुर चट्टी थाना बहरियाबाद जनपद गाजीपुर से दिनांक 14.04.2025 को हिरासत पुलिस लिया गया तथा घटना मे प्रयुक्त आलाकत्ल एक अदद बांस का डंडा अपचारी की निशादेही पर बरामद किया गया।उक्त के विरूद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी का विवरण -

1. एक अदद बांस का डंडा (आलाकत्ल)

गिरफ्तार/अभिरक्षा में लिए गए अभियुक्ता/अपचारीगण -

1. श्रीमती सुनीता देवी पत्नी रामजी यादव नि0ग्राम मिर्जापुर कंचनपुर थाना बहरियाबाद जनपद गाजीपुर उम्र करीब 43 वर्ष

2. 02 नफर बाल अपचारी

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 53/2025 धारा 115(2),352,351(3),105 BNS थाना बहरियाबाद जनपद गाजीपुर

<u>03-थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा शकील कुरैशी उर्फ मुन्ना गैंग के सदस्य बेलाल कुरैशी उर्फ बेलाल अहमद नि0 जेरीकला सट्टी मस्जिद थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर द्वारा अर्जित अचल सम्पत्ति (अनुमानित बाजारु कीमत 18 लाख 71 हजार, 500 रुपये) है, को कुर्क कर जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।</u>

शासन द्वारा चिन्हित अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत दिनांक 13.12.2024 को प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर द्वारा प्रेषित आख्या पर श्रीमान् पुलिस अधीक्षक गाजीपुर द्वारा की गई संस्तुति के आधार पर श्रीमान् जिलाधिकारी महोदया गाजीपुर द्वारा पारित कुर्की आदेश अंतर्गत धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत गैंग सदस्य बेलाल कुरैशी उर्फ बेलाल अहमद नि0 जेरीकला सट्टी मस्जिद थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर द्वारा अर्जित अचल सम्पत्ति जिसकी अनुमानित बाजारु कीमत 18 लाख 71 हजार, 500 रूपये है, जिसे आज दिनांक 15/04/2025 को कुर्क कर जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

उल्लेखनीय है कि शकील कुरैशी उर्फ मुन्ना पुत्र अब्दुल जलील कुरैशी निवासी सरायगली जेरकिला थाना कोतवाली, गाजीपुर द्वारा संचालित गैंग के सदस्य अभियुक्त बेलाल कुरैशी उर्फ बेलाल अहमद उपरोक्त द्वारा लोक व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करने, अपने तथा गैंग के अन्य सदस्यों के लिए आर्थिक,भौतिक व दुनियाबी लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से आपराधिक कार्य तथा समाज विरोधी क्रियाकलापों से अर्जित अचल संपत्ति जो कि बेलाल कुरैशी उर्फ बेलाल अहमद के नाम से क्रय किया गया है, को कुर्क कर जब्तीकरण की कार्यवाही की गई।

कुर्क की गयी भू-सम्पत्ति का विवरण–

बेलाल कुरैशी उर्फ बेलाल अहमद के नाम से मौजा चौकिया परगना व तहसील गाजीपुर में खाता नं. 00010 आराजी नं. 458अ रकबा 0.2760 हे0 व आराजी नं. 458ब रकबा 0.7020 हे0 जुमला 02 गाटा कुल रकबा 0.9780 हे0 में से विक्रित रकबा 0.0197 हे0 यानि 0-1-11 (01 बिस्वा 11 धूर) जिसका क्षेत्रफल 197 वर्गमी0 विक्रेता कासिम खाँ पुत्र इरशाद नि0 ग्राम व पोस्ट चौकिया थाना कोतवाली जिला गाजीपुर हाल मुकाम- महात्मा कबीर नगर सहार रोड, चकाला, महाराष्ट्र राज्य से क्रय किया गया, जिसकी अनुमानित बाजारू कीमत रू0 18 लाख 71 हजार, 500 रूपये है।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास–

1-मु0अ0सं0-432/2023 धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 व 3/5ए/8 गौहत्या निवारण अधि0 उ0प्र0 थाना कोतवाली गाजीपुर।

2-मु0अ0सं0- 581/2023 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना कोतवाली, गाजीपुर

04-थाना बिरनो पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 56/25 धारा 87, 137(2), 115(2), 352, 351(3) बीएनएस से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 15.04.2025 को उ0नि0 राकेश कुमार शर्मा मय हमराह के द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 56/25 धारा 87, 137(2), 115(2), 352, 351(3) बीएनएस,थाना बिरनो जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित अभियुक्त पंकज राजभर पुत्र महेन्द्र को सियारामपुर चौराहे से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

संक्षिप्त विवरण – अभियुक्त द्वारा वादी की लडकी को शादी का झांसा देकर भगा ले जाना तथा वापस आकर शादी करने से मना करना तथा शिकायत करने पर वादी की लडकी को गाली देते हुए मारना पीटना व जान से मारने की धमकी देना जिसके सम्बंध में वादी की तहरीर पर थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम व पता-

1. पंकज राजभऱ पुत्र महेन्द्र राजभऱ निवासी ग्राम ठटरा थाना सादात जनपद गाजीपुर

अपराधिक इतिहास -

1.मु0अ0सं0 56/25 धारा 87, 137(2), 115(2), 352, 351(3) बीएनएस

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर